न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 83 / 2016

1 श्यामलाल पुत्र श्री चन्द्रराम आयु 60 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय (डिकी नहीं बनाई गई है)
दिनांकित 18.05.2016 उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सीकर वाद–पत्र संख्या 45 / 2016 शीर्षकीय श्यामलाल
बनाम तहसीलदार

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र पारिक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 19.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 45/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 468/4 नये खसरा नम्बर 674 वाके ग्राम रघुनाथ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद सनुवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 468/1 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा जिसके नये नम्बर 674 रकबा 0.43 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर राज. में अवस्थिति है। उक्त भूमि नये सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही एवम राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय लागू होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में वादी के दादा कानाराम एवम अपीलान्ट के दादा के पश्चात चन्द्राराम काबिज काश्तकार होकर हो गया था जो लगातार काबिज काश्तकार होकर वर्तमान में भी वादी ही काबिज काश्तकार चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं गिरदावरियां प्रारम्भ होने से पूर्व ही काश्त अंकित की जा रही है जो काश्त होना गिरदावरी से सिद्ध है। सम्वत 2068 से 2031 में पुराने खसरा नम्बर 468/4 में बाजरे एवं मोठ की विशिष्ठ फसलें अंकित है एवं इसके पश्चात भी बनी हुई गिरदावरी में बाजरा व मोठ की विशिष्ठ फसले अंकित है जिससे सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है तथा वर्तमान में अपीलान्ट के द्वारा विवादित आराजी में गेहूं की फसल कर रखी थी तथा अपीलान्ट ने विवादित भूमि में अपनी आवासीय गुवाड़ी काफी अर्से से बना रखी है तथा मय परिवार व पशुधन आबाद चला आ रहा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। जो खसरा नम्बर परिवर्तित निर्धारण गैर मुस्तकील काश्त सम्वत 2072 वर्ष 2015—16 दस्तावेज से सिद्ध है। अपीलान्ट के खातेदारी काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 462 क्षेत्रफल 6 बीघा 10 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 673 रकबा 1.40 हैक्टेयर कृषि भूमि बारानी द्वितीय का अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि के साथ ही वादग्रस्त भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के साथ ही भूमि खसरा नम्बर 674 की नींव—सींव एक साथ ही है जिस पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से एवं बाद में लगातार वर्तमान तक काबिज काश्तकारी अपीलान्ट एवं अपीलांट के पूर्वज ही रहे है। जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा सहवन से कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 674 की भूमि अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम अंकित नही होना राजस्व अधिकारियों की भूल है। दिनांक 18.05.2016 को पटवार हल्का रघुनाथगढ़ के द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 674 की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट बनाकर भिजवाई गयी है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जे काश्त के मुताबिक नहीं बनाई गई व मौके पर जाकर नाप—जोख करके नहीं बनाई है। पटवार हल्का के द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्ट/वादी को कोई नोटिस नही दिया इस पर अपीलान्ट वादी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रस्तुत वस्तुस्थिति रिपोर्ट पटवार हल्का के द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर रिकार्ड व नक्शा को देखकर तैयार की गई है एवं तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दी तहसीलदार महोदय ने कोई तथ्य की जांच किये बिना विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दी। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट/वादी के विरूद्ध अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध जाकर गलत रूप से दिनांक 11.09.1989 को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। जो अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भतया ही निरस्तनीय है। राजस्व अधिकारियों के द्वारा पुनः नोटिस अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 91 के तहत दिनांक 27.09.2001 व दिनांक 14.01.2016 जारी किये गये जो अपीलान्ट के कानूनी अधिकारों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 27.09.1989 व 12.01.2002 को रसीदे जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की गई है। इस प्रकार से रेस्पोडेन्ट के द्वारा समय—समय पर जारी नोटिस से भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त व अधिकार की पुष्टी होती है। दिनांक 18.05. 2016 को माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना मेरिट पर सुने व उसके परिवारजनों के काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व के कब्जे काश्त को नजरअन्दाज करते हुए अपीलान्ट के प्रोपर्टी विधिक अधिकारों को अनदेखा करते हुए समस्त तथात्मक व विधिक स्थिति विधिक अधिकारों को अनदेखा करते हुए समस्त की अनदेखी करते हुए विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर अपीलांट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के पूर्व से आज दिनांक तक निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है। अतिक्रमी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर अपीलांट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के पूर्व से आज दिनांक तक निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है। अतिक्रमी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 19.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर